पत्रांक-1/पी0एम0सी0/629/2003- 530

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक : ई0 सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/06 /2013.

विषय : अतिरिक्त मद के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त मद के रूप में बड़ी राशि का कार्य कराया जाता है, जिसके चलते कार्य की लागत राशि में काफी वृद्धि हो जाती है । अतिरिक्त मद में कराये गये कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव मुख्यालय में भेजा जाता है, जिसमें यह प्रमाण-पत्र अंकित नहीं रहता है कि इस अतिरिक्त मद अथवा एकरारित मद में वृद्धि के लिए कार्य कराने के पूर्व इन्जीनियर इन्चार्ज/सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त कर लिया गया है ।

अतएव अतिरिक्त मद/एकरारित मद में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव जो मुख्यालय में समर्पित किये जाते है, उसमें इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जाय कि अतिरिक्त मद/एकरारित मद में वृद्धि के तहत कार्य कराने के पूर्व आदेश सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कारवाई हेतु संसूचित किया जाए।

विश्वासभाजन,

13/6/2013

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।